उत्तराखण्ड सरकार

वित्त विभाग

पंचम राज्य वित्त आयोग, उत्तराखण्ड

(पंचायती राज एवं नगरीय स्थानीय निकाय)

(वर्ष 2021– 2026)

के

प्रतिवेदन

में की गई

संस्तुतियों पर राज्य सरकार

का

कार्यवाही– ज्ञापन

उत्तराखण्ड सरकार

वित्त विभाग

विषयः— **पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज और स्थानीय निकाय) उत्तराखण्ड द्वारा प्रदेश की ग्रामीण एवं नगरीय स्थानीय निकायों के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध राज्य सरकार का कार्यवाही ज्ञापन।**

संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों के अनुच्छेद 243 (झ) तथा 243 (म) में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों के लिए संसाधन के संक्रमण तथा उनकी वित्तीय व्यवस्था में सुधार के उपायों की संस्तुति देने हेतु उत्तराखण्ड में पंचम राज्य वित्त आयोग (पंचायती राज एवं स्थानीय निकाय) का गठन 04 नवम्बर, 2019 में श्री इन्दु कुमार पाण्डे, सेवा निवृत्त आई.ए.एस. की अध्यक्षता में किया गया। आयोग को संदर्भित किये गये निदेश पद के अनुक्रम में आयोग द्वारा जुलाई, 2021 को श्री राज्यपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत को गयी। राज्य सरकार द्वारा आयोग की संस्तुतियों को निम्नवत् कार्यान्वित किये जाने का निर्णय लिया हैः—

संस्तुति संख्या	आयोग की संस्तुति	राज्य सरकार का निर्णय
1.	सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे, विकेंद्रीकृत शासन, वित्तीय योजना, आई.सी.टी. (सूचना संचार प्रौद्योगिकी) और आई.सी.ई. (सूचना संचार एवं शिक्षा) उपायों पर फिर से जोर देने की चुनौती, सामुदायिक भागीदारी को बेहतर बनाने हेतु एक मजबूत इच्छा के साथ सकारात्मक स्वास्थ्य लाभ सुनिश्चित करना होगा। **(अध्याय—4, प्रस्तर 4.10)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
2.	ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक क्षेत्र के साथ—साथ सेवा क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को सुगम बनाना होगा। राज्य को योजनाकार के साथ—साथ एक सक्षमकर्ता के रूप में एक बड़ी भूमिका निभानी होगी तथा उपयुक्त और समुचित नवीन प्रौद्योगिकी और प्रथाओं को पेश करना होगा, जिसमें अन्य बातों के साथ—साथ स्थायी कृषि और संबद्ध गतिविधियों, सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी और प्रभावी आई.सी.टी. उपायों के उपयोग की आवश्यकता होगी। **(अध्याय—4, प्रस्तर 4.21)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग सूचना प्रौद्योगिक विभाग से समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

3.	जबकि तकनीकी उन्नयन जल और मृदा संरक्षण एवं उत्पादकता के दोहरे मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अत्यधिक वांछनीय है, इसके सफल होने के लिए किसी भी तकनीकी अनुप्रयोगों हेतु एक गहन लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता है। क्लस्टर दृष्टिकोण के साथ स्वैच्छिक, समेकित, प्रसंस्करण उद्योग लिंकेज के साथ अनुबंध खेती और सूक्ष्म स्तरीय दृष्टिकोण के अनुसरण में तकनीकी निवेश की समीक्षा की जानी चाहिए। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.28)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय आपस में समन्वय स्थापित कर अपने स्तर से कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
4.	पहला कदम उन सभी संस्थानों, उत्पादन इकाइयों आदि की समग्र समीक्षा होनी चाहिए, जिन्होंने कृषि और बागवानी अनुसंधान और प्रसंस्करण, उत्पादन, विपणन आदि के लिए अपने वास्तविक प्रदर्शन, दक्षता आदि के संदर्भ में स्थापित किया है और यदि गंभीर अड़चनें हैं, तो संस्थागत संरचना और रणनीतियों दोनों के संदर्भ में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकते हैं। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.30)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासकीय विभाग आपस में समन्वय स्थापित कर समीक्षा करते हुये अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगें।
5.	यह समान रूप से रेशम उत्पादन, पशुपालन, डेयरी क्षेत्र, मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन और अन्य संबंधित गतिविधियों पर लागू होगा। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.31)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित विभाग परस्पर समन्वय स्थापित कर विभाग को अधिक सुदृढ़ीकरण करने हेतु प्रौद्योगिकी विभाग से तकनीकी सहायता प्राप्त कर अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
6.	आधुनिक विपणन रणनीतियों और निजी क्षेत्र के रणनीतिक साझदारों के साथ डेयरी एवं मत्स्य पालन क्षेत्र में मूल्यवर्धन की संभावना तलाशने की जरूरत है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.32)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग, डेरी एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा मूल्य वर्धन की संभावनाओं को तलाशने हेतु आधुनिक विपणन रणनीतियो एवं निजी क्षेत्र के रणनीतिक साझेदारों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
7.	इसमें सरकार के स्वामित्व वाली चीनी मिलों के साथ–साथ सहकारी क्षेत्र का उत्पाद विविधीकरण भी शामिल होगा, जहां	संस्तुति स्वीकार की गई। जिन सहकारी चीनी मिलों में

	सरकारी हिस्सेदारी 90% से अधिक है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.35)**	सरकार का स्वामित्व 90%से अधिक है, उत्पाद के विविधिकरण में शामिल करने हेतु प्रशासनिक विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
8.	विशेष रूप से पर्यटकों के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आने वाले गंतव्यों में अपशिष्ट प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा जैव चिकित्सा अपशिष्ट जैसेः– मास्क, सैनिटाइज़र आदि के सुरक्षित निपटान के बारे में होगा। बैंकॉक पहले ही जागरूकता अभियान के माध्यम से इस संबंध में एक पहल कर चुका है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.38)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग पर्यटन, स्वास्थ्य, नगर विकास द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
9.	उत्तराखण्ड पर्यटन विकास योजना पर नये सिरे से विचार कर भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में तैयार किया जाना चाहिए। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.44)**	संस्तुति स्वीकार की गई। उत्तराखण्ड पर्यटन विकास विभाग द्वारा योजना पर नये सिरे से विचार कर भविष्य की योजनाओं और रणनीतियों को बदली हुई परिस्थितियों के संदर्भ में तैयार किये जाने हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगें।
10.	एक अधिक स्थानीयकृत योजना, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ परिवहन सुविधाएं, जिलावार सूक्ष्म योजनाओं पर आधारित संचार अवसंरचना शामिल होगी, को भविष्य के लिए स्थानीय जनता को रोजगार उपलब्ध कराने की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए तैयार करने की आवश्यकता है। **(अध्याय–4, प्रस्तर 4.45)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।
11.	व्यय नियंत्रण में सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना भी शामिल होना चाहिए, जहां उनकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है तथा सामर्थ्य के आधार पर बेहतर लक्ष्यीकरण किया जाना चाहिए। राज्य के स्वामित्व वाली और सहकारी चीनी मिलों, जहां राज्य सरकार की बहुमत हिस्सेदारी (90% से अधिक) है, को सरकारी अनुदान या गैर–वसूली योग्य ऋणों द्वारा गन्ना मूल्य भुगतान के	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग कार्यवाही सुनिश्चित करेंगें।

	माध्यम से सब्सिडी दी जा रही है। ऐसे उद्यमों का निजीकरण किया जाना चाहिए या उन्हें पीपीपी मोड में चलाने के साथ–साथ गन्ने के रस से इथेनॉल जैसे उत्पाद विविधीकरण किया जाना चाहिए। बिजली क्षेत्र में सब्सिडी पर दाबारा गौर किया जाए और धीरे–धीरे चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.36)**	
12.	आवश्यक सेवाओं को प्रदान करने वाले और भर्ती में देरी के कारण को छोड़कर तीन वर्षों से अधिक समय से रिक्त पड़े पदों को समाप्त करके विभागों के सही आकार की आवश्यकता है। इसके अलावा समान कार्यों वाले विभागों का विलय कर दिया जाए और उपरिव्ययों को कम किया जाए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.37)**	संस्तुति स्वीकार की गई। कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
13.	उन कर्मचारियों के सम्बन्ध में अतिरेक से छुटकारा पाने के लिए एक उपयुक्त स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना तैयार की जानी चाहिए जिसे कहीं और समायोजित नहीं किया जा सकता है। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.38)**	संस्तुति स्वीकार की गई। कार्मिक विभाग अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करेगा।
14.	स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक आदि जैसे शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थानों में एक बड़े खर्च की जांच की जानी चाहिए और जिन संस्थानों में बुनियादी ढांचा लगभग न के बराबर है, छात्र शिक्षक अनुपात बहुत कम है, उन्हें बंद कर दिया जाना चाहिए और अन्य के पडोसी क्षेत्र के संस्थानों को इसे व्यवहार्य बनाने और शिक्षा की गुणवत्ता के हित में विलय कर दिया जाना चाहिए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.39)**	संस्तुति स्वीकार की गई। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जिन विद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थाओं में, जहां छात्रों की संख्या कम थी, उनको नजदीक के विद्यालय/संस्थान में विलय करने हेतु निर्देश जारी किये गये हैं ।
15.	विभागों के पुनर्गठन के लिए राज्य सरकार द्वारा गठित एक समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा सकती है, ताकि एक उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई प्रतिबद्धता नियंत्रण प्रणाली द्वारा वेतन, भत्ते और पेंशन का खर्च भविष्य में एक समयावधि में कम हो सके। संसाधन जुटाने के उपाय, लागत–प्लस आधार पर सेवाओं के मूल्य निर्धारण द्वारा किए जाते हैं, जहां कम से कम परिचालन व्यय, उपभोग्य सामग्रियों की लागत आदि को मूल्य सूचीकरण के प्रावधान के साथ वसूल किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता शुल्क को सालाना संशोधित किया जा सके। आर्थिक और सामाजिक सेवाओं के लिए	संस्तुति स्वीकार की गई। सिंचाई, स्वास्थ्य, पेयजल विभाग द्वारा शुल्क आदि के पुनरीक्षण हेतु अपने स्तर पर कार्यवाही की जायेगी।

	सिंचाई, अस्पताल सेवाओं, पेयजल, अन्य शुल्क आदि के संबंध में शुल्क पुनरीक्षण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.40)**	
16.	बालू, मिट्टी, पत्थर आदि जैसे गौण खनिजों के खनन और वनोपज से प्राप्त रॉयल्टी की बारीकी से निगरानी की जाए और दरों को उपयुक्त रूप से संशोधित किया जाए और किसी भी तरह के रिसाव को प्रभावी ढंग से रोका जाए। **(अध्याय–5, प्रस्तर 5.41)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग, खनिज एवं वन विभाग द्वारा रायल्टी की बारीकी से निगरानी एवं दरों को संयोजित करने हेतु परीक्षण कर कार्यवाही की जायेगी।
17.	यह संस्तुति की जाती है कि किराये, उपयोगकर्ता शुल्क आदि की समय–समय पर समीक्षा की जाए और परिसंपत्ति निर्माण के लिए असंबद्ध अनुदानों का वितरण करते समय, मौजूदा परिसंपत्तियों से आय की समीक्षा की जाए और लागत और मूल्य सूचकांकों के आधार पर आवधिक वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रतिबद्धता प्राप्त की जाए। **(अध्याय–6, प्रस्तर 6.51)**	संस्तुति स्वीकार की गई। संबंधित प्रशासनिक विभाग अपने स्तर पर कार्यवाही करेंगें।
18.	शहरी स्थानीय निकायों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत 'वैल्यू कैप्चर फाइनेंस' के माध्यम से हो सकता है। विभिन्न शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा बेहत्तरी शुल्क, विकास शुल्क के रूप में लागू कर, इन शुल्कों का एक हिस्सा अधिकार क्षेत्र में शहरी स्थानीय निकाय के लिए निर्धारित किया जा सकता है, एवं इसमें उचित परिमाण में वृद्धि की जा सकती है। **(अध्याय–6, प्रस्तर 6.52)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग अपने से कार्यवाही करेंगें।
19.	पूर्ववर्ती आयोगों ने राज्य सरकार द्वारा जिला पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे गए सम्पत्ति एवं विभव कर को व्यवसाय कर के रूप में प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की है। वर्तमान आयोग भी अधिकृत रूप से समर्थन करते हुए व्यवसाय कर आरोपित कराने की संस्तुति करता है। चूंकि हस्तांतरण सूत्र (Devolution Formula) में कर प्रयासों को उचित महत्व दिया जा रहा है, इसलिए यह राजस्व जुटाने के लिए बढ़े हुए प्रयासों के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करने की संभावना है। **(अध्याय–7, प्रस्तर 7.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।

20.	क्षेत्र पंचायतों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र में किया गया कार्य जो कि ऐसे से अधिक ग्राम पंचायतो की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उनके बेहतर लेखा, लेखा सम्परीक्षा और अनुश्रवण से बेहत्तर व्यय की दक्षता सुनिश्चित की जानी चाहिए। **(अध्याय–7, प्रस्तर 7.30)**	संस्तुति स्वीकार की गई। पंचायतीराज विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
21.	अधिकांश ग्राम पंचायतों में कार्मिकों का अभाव है। अतः ग्राम पंचायतों के कार्यालयों को कार्मिक और प्रबंधन दोनों प्रकार से सुदृढ़ किया जाना चाहिए। **(अध्याय–7, प्रस्तर 7.37)**	संस्तुति स्वीकार की गई। पंचायतीराज विभाग द्वारा कार्यवाही की जायेगी।
	<u>**वित्तीय संकमण से संबंधित संस्तुतियॉ**</u>:–	
22..	कोविड महामारी के कारण बढ़ती जिम्मेदारिया के साथ–साथ बढ़ते शहरीकरण और गुणवत्तापूर्ण नागरिक सेवाओं की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए, आयोग राज्य के अपने कर राजस्व (जीएसटी मुआवजे सहित) के 11% हस्तांतरण की सिफारिश करता है, जिसे शहरी स्थानीय निकाय और ग्रामीण निकायों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जाना है। **(अध्याय–8, प्रस्तर 8.8)**	प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से प्रदेश की ग्रामीण एवं शहरी निकायों के विकास एवं जनकल्याण हेतु विभिन्न योजनायें संचालित की जाती है, जिनमें काफी वित्तीय व्यय भार निहित होता है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा वर्ष 2022–23 तक ही जी.एस.टी. की क्षतिपूर्ति की जायेगी। कोविड–19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) क्षतिपूर्ति पदान किये जाने हेतु उपलब्ध कराये गये विकल्प के अंतर्गत राज्यो को विशेष विंडों के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा ऋण के माध्यम से क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के वचनबद्ध दायित्वों एवं सीमित संसाधनों के दृष्टिगत अन्तरण/ हस्तांतरण की धनराशि प्रदेश

को प्राप्त निज कर राजस्व (जी.एस.टी. की क्षतिपूति को छोड़कर) का 10.50 प्रतिशत ही रखी जाय, जिसे आयोग की संस्तुतियों के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों एवं ग्रामीण निकायों के बीच 60:40 के अनुपात में विभाजित किया जायेगा। उक्तानुसार संस्तुति स्वीकार की गई।

23. आयोग ने शहरी स्थानीय निकाय के परस्पर अंश के निर्धारण के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों को अपनाया हैः–

(अध्याय–8, प्रस्तर 8.11)

संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।

(i) सभी केन्द्रीय वित्त आयोगो ने जनसंख्या के मापदंड का सिद्धांत अपनाया है जो कि निवासियों की आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मापदंड है, क्योंकि यह एक साधारण तटस्थ और पारदर्शी संकेतक है, जिसका महत्वपूर्ण समान प्रभाव पड़ता है, और यह किसी भी प्रकार के सांख्यिकीय पूर्वाग्रह से मुक्त है। चूंकि कुछ शहरी स्थानीय निकायों में विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में एक अल्प आबादी है, फिर भी कुछ आवश्यक नगरपालिका सेवाएं प्रदान की जानी हैं, इसलिए हमने नगर पालिका परिषद के लिए 10000, नगर पंचायत के लिए 5000 और ग्राम पंचायत के लिए 500 की न्यूनतम जनसंख्या मान ली है।

(ii) विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों द्वारा रिपोर्ट किए गए क्षेत्रफल के आंकड़ों में बहुत अधिक विसंगति है। ग्राम पंचायतों के लिए अधिकतम क्षेत्रफल 600 हैक्टेयर और न्यूनतम क्षेत्रफल 200 हैक्टेयर निर्धारित किया गया है।

नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों हेतु न्यूनतम/ अधिकतम क्षेत्रफल का मापदंड निम्नवत हैः–

स्थानीय निकायों का नाम	न्यूनतम क्षेत्रफल (वर्ग किमी में क्षेत्रफल)	अधिकतम क्षेत्रफल (वर्ग किमी में क्षेत्रफल)
नगर पालिका परिषद	10	40
नगर पंचायत	10	40

(iii) निम्नलिखित तरीके से वर्गीकृत रिमोटनेस के संकेतक के रूप में निकटतम रेल हेड से दूरी ली है:–

<u>**नगर पालिका परिषदें और नगर पंचायतें**</u>

(i) 0–20 किमी, (ii) 21–80 किमी, (iii) 81–180 किमी, और (iv) 180 किमी से अधिक।

<u>**जिला पंचायतं और क्षेत्र पंचायतं**</u>

(i) 0–50 किमी, (ii) 51–100 किमी, (iii) 101–150 किमी, और (iv) 150 किमी से अधिक। निकटतम रेल हेड से दूरी के आधार पर जिला पंचायतों को 10% और क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों को 20% भारांक दिया गया है। यहां की दूरी रेल मुख्यालय से जिला परिषद व विकास खण्ड मुख्यालय की है।

(iv) आयोग ने हस्तांतरण सूत्र (Devolution formula) में कर प्रयास को एक मापदण्ड के रूप में शामिल किया है। प्रति व्यक्ति कर की समीक्षा के साक्ष्य को 50% और प्रति व्यक्ति वसूली को 50% महत्व देना होगा।

(v) **विशेष व्यवस्था** :– कुछ शहर अस्थायी आबादी के रूप में बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करते हैं क्योंकि वे 1) एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल, 2) जिला मुख्यालय, 3) यात्रा मार्ग पर स्थित और 4) अन्य कार्यालय और महत्वपूर्ण संस्थान जैसे माननीय 'उच्च न्यायालय', 'आवासीय विद्यालय' आदि ऐस यह प्रत्येक कारक को समान भार देकर और नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत तक सीमित करके उपरोक्त आधार पर हस्तांतरण सूत्र में व्यवस्था की गयी है।

24. (1) ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के बीच परस्पर अंश क्रमशः 37.5%, 17.5% और 45% होगा और क्षैतिज हस्तांतरण के लिए मापदण्ड निम्नानुसार अनुशंसित हैः–

क्रमांक	ग्रामीण स्थानीय	आबादी	क्षेत्रफल	कर प्रयास	पृथकता
1	जिला पचायत	60%	20%	10%	10%
2	क्षेत्र पंचायत	60%	20%	-	20%
3	ग्राम पंचायत	60%	20%	-	20%

उपर्युक्त सूत्र के अनुसार जिला पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और ग्राम पंचायतों के हिस्से की गणना आयोग के प्रतिवेदन के अनुलग्नकः 8. 1, 8.2, 8.3 में दी गई है। **(अध्याय–8, प्रस्तर 8.13)**

संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।

(2) शहरी स्थानीय निकाय के लिए परस्पर अंश की सिफारिश निम्नानुसार की गई है –

नगर निगम – 40%

नगर पालिका परिषद – 47%

नगर पंचायत – 13%

(अध्याय–8, प्रस्तर 8.13)

संस्तुति यथावत स्वीकार की गई।

(3) अंश का निर्धारण निम्नलिखित विचार के आधार पर करने की अनुशंसा की गई हैः–

क्र. सं.	शहरी स्थानीय निकाय का नाम	आबादी	क्षेत्रफल	कर प्रयास	पृथकता	विशेष व्यवस्था
1	नगर निगम	60%	20%	10%	10%	-
2	नगर पालिका	65%	10%	15%	5%	5%
3	नगर पंचायत	65%	10%	15%	5%	5%

उपरोक्त मापदंड और वेटेज के आधार पर नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत का संबंधित हिस्सा आयोग के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 8.4, 8.5, 8.6 में दी गई हैं।

(अध्याय–8, प्रस्तर 8.13)

25. आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों को प्रथम वर्ष में ₹1.25 करोड़ रुपये और शेष वर्षों में ₹75.00 लाख रुपये प्रति वर्ष अनुदान के लिए दिया

आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नवसृजित नगर पालिका परिषद एवं नगर

	जाना चाहिए। प्रथम वर्ष में सहायता अनुदान की कुल राशि में से ₹50 लाख रुपये की राशि उन मदों पर खर्च की जाएगी जो पूंजीगत कायो और राजस्व व्यय की प्रारंभिक मदों की प्रकृति की हैं। लेकिन नयी, स्टाफ कार/जीप इस अनुदान से नहीं खरीदी जा सकती है। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.14)**	पंचायतों को प्रथम वष ₹1.25 करोड़ तथा शेष अवधि में ₹1 करोड़ का अनुदान दिया जाय। उक्तानुसार आंशिक संशोधन के साथ संस्तुति स्वीकार की गई।
26.	आयोग के अधिनिर्णय की अवधि के दौरान नव निर्मित नगर परिषदों और नगर पंचायतों को संस्तुत सहायता अनुदान की राशि को उनके द्वारा अनुशंसित सूत्र या सहायता अनुदान में शामिल नहीं किया गया है, उनके संबंधित समूहों को स्वीकार्य कुल हस्तांतरण राशि से ऐसी धनराशि की कटौती की जाऐगी। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.15)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
27.	इससे पहले चतुर्थ राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में उल्लेख किया है कि जब एक नगर पंचायत को नगर पालिका परिषद या नगर पालिका परिषद को नगर निगम में उच्चीकृत किया जाता है, तो इससे संबंधित समूहों के परस्पर हिस्से के बीच एक विकृति पैदा होती है। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.16)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
28.	आयोग ने सिफारिश की है कि उक्त शहरी स्थानीय निकाय के निर्धारित आपसी अंश को बदला नहीं जा सकता है और उच्चीकृत किए गए शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान की उतनी ही राशि प्राप्त करना जारी रखना चाहिए जितना कि हमारे अवार्ड अवधि के दौरान इसके उन्नयन से पहले प्राप्त हो रहा था। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.17)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
	तीन नगर पंचायतों को सहायता के लिए निम्नलिखित अनुदान की सिफारिश की हैः– बद्रीनाथ ₹1 करोड़ प्रति वर्ष केदारनाथ ₹0.50 करोड़ प्रति वर्ष गंगोत्री ₹0.50 करोड़ प्रति वर्ष। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.18)**	उत्तराखण्ड के महत्वपूर्ण धार्मिक एवं पर्यटन स्थल होने के कारण उक्त प्रत्येक गैर निर्वाचितों निकायों को ₹2.00 करोड़ वार्षिक अनुदान दिया जायेगा। इस संशोधन के साथ संस्तुति स्वीकार की गई।

29.	संसूचित, वेतन और पेंशन संबंधी बकाया राशि कुल ₹38.15 करोड़ है, लेखापरीक्षित खातों के आधार पर देय सत्यापन के बाद बकाया की निकासी के लिए आयोग ₹38.15 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करता है। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.20)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
30.	बिजली के बिल की बकाया धनराशि हेतु तृतीय राज्य वित्त आयोग ने एक व्यवस्था का सुझाव दिया था, जिससे वर्तमान आयोग सहमत है। इसके अनुसार निदेशक लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापित बकाया का 20% अनुदान के रूप में वर्ष 2021–22 में भुगतान किया जाना चाहिए और दूसरे वर्ष से बाकी की कटौती की जाएगी (राज्य के कर राजस्व में सामान्य वृद्धि के कारण हस्तांतरण के लिए उपलब्ध किसी भी अतिरिक्त राशि से 50% तक) कटौती की जाएगी। नगरपालिका क्षेत्र में बिजली की खपत पर एक अधिभार या उपकर लगाया जाना चाहिए है। जिसकी आय उत्तराखण्ड पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा विद्युत बिलों के साथ एकत्र की जा सकती है, और इससे बिजली बिलों का भुगतान किया जाय। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.23)**	संस्तुति स्वीकार की गई। प्रशासनिक विभाग द्वारा यथोचित कार्यवाही की जायेगी।
31.	<u>**विशेष प्रयोजन अनुदान**</u> :– विस्तृत सर्वेक्षण के बाद जीआईएस आधारित मास्टर प्लान तैयार करना। आयोग इस उद्देश्य के लिए ₹15 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करता है। हालांकि, अनुदान जारी करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि इसका उपयोग उन शहरी स्थानीय निकायों के लिए किया जाता है जिन्हें किसी अन्य योजना द्वारा इस उद्देश्य के लिए वित्त पोषित नहीं किया जाता है। एस एस जे कैंपस, कुमाऊं विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग में केंद्र द्वारा अल्मोड़ा शहर के लिए एक जीआईएस आधारित व्यापक मॉडल तैयार किया गया था, जो प्रथम दृष्टया काफी जानकारीपूर्ण प्रतीत होता है। इसे अन्य स्थानों के लिए उचित जांच के बाद दोहराया जा सकता है। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
32.	हालांकि, आयोग उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में राज्य शहरी विकास संस्थान की स्थापना के संबंध में तृतीय वित्त आयोग के प्रस्ताव को दोहराता है, जो कि लागत प्रभावी व्यवस्था है, क्योंकि बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाए वहॉ उपलब्ध है। संस्थान को	संस्तुति स्वीकार की गई।

	प्रशिक्षण और अनुसंधान उद्देश्यों के लिए ₹1 करोड़ का वार्षिक अनुदान प्रदान किये जाने की संस्तुति की जाती है। शहरी मुद्दों पर कार्ययोजना से विभिन्न योजनाओं के तहत परियोजना आधारित वित्त पोषण किया जा सकता है। **(अध्याय: 8 प्रस्तर–8.25)**	
33.	₹400 करोड़ की ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना जिसे 35% भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित किया जाना है और 65% राज्य का हिस्सा है तथा जिसमें से ₹80 करोड़ जारी किए गए हैं, आयोग इस उद्देश्य के लिए राज्यांश हेतु ₹180 करोड़ के अनुदान की सिफारिश करता है। **(अध्याय: 8 प्रस्तर–8.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
34.	एलईडी लाइटों द्वारा मौजूदा स्ट्रीट लाइट और सौर आधारित एलईडी लाइटों की स्थापना के लिए ₹25 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए गए हैं। चूंकि यह एक ऊर्जा बचत उपकरण है, इसलिए ₹25 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की जाती है। **(अध्याय: 8 प्रस्तर–8.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
35.	आयोग द्वारा भूमिगत कचरा बिन स्थापित करने के लिए प्रस्तावित ₹20 करोड़ की सिफारिश की जाती है बशर्ते कि यह ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की किसी अन्य परियोजना में वित्त पोषित न हो। **(अध्याय: 8 प्रस्तर–8.25)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
36.	शहरी स्थानीय निकायों से प्राप्त अधिकांश प्रस्ताव भूमि की उपलब्धता, स्थान, राजस्व मॉडलिंग आदि के बारे में किसी भी विवरण के बिना हैं। इसलिए, आयोग शहरी स्थानीय निकायों के लिए ₹100 करोड़ के एक संयुक्त अनुदान की सिफारिश करता है, मुख्य रूप से परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु जिससे आय में वृद्धि हो सकती है। कोविड के अनुभव ने विद्युत शवदाह गृह की आवश्यकता के दृष्टिगत इसका उपयोग किया जाए इस असंबद्ध अनुदान में से देहरादून, हरिद्वार और हल्द्वानी में विद्युत शवदाह गृह की स्थापना को प्राथमिकता दी जाए, जब शहरी स्थानीय निकायों द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी जाए। इसी प्रकार, ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के लिए ₹20 करोड़ के संयुक्त अनुदान की सिफारिश की गई है। **(अध्याय: 8 प्रस्तर–8.26)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
37.	इन अनुदानों को दूसरे वर्ष से जारी किया जा सकता है और सम्पत्ति कर न्यूनतम दरों की शर्त के अधीन उन शहरी स्थानीय	संस्तुति स्वीकार की गई।

	निकायों को छोडकर जो इस अवधि के लिए बनाये गए है और छूट प्राप्त अन्य पर लागू होगी। छूट की अवधि समाप्त होने पर यह छूट प्राप्त निकायों पर भी लागू हो जाएगा। ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग द्वारा प्रस्तावित शर्त अनुदान जारी करने के लिए लागू की जाय। **(अध्यायः 8 प्रस्तर–8.27)**	
38.	शहरी स्थानीय निकायों के भीतर एक प्रभावी संस्थागत व्यवस्था किया जाना अपेक्षित है जो कि एक समर्पित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन या सेल जिसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मैनुवल प्रबंधन के लिए विशिष्ठ तकनीकी और प्रबंधकीय विशेषज्ञता वाले कार्मिक हों ऐसे प्रकोष्ठ में कार्यरत कार्मिक नवीनतम तकनीकों और सर्वोत्तम प्रथाओं से परिचित हो सकते हैं। **(अध्यायः 9 प्रस्तर–9.17)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
39.	तृतीय राज्य वित्त आयोग ने राज्य शहरी विकास संस्थान (एसआईयूडी) की स्थापना की संस्तुति की थी, जो शायद अभी तक कार्यात्मक नहीं है। राज्य स्तर पर एक ऐसा संस्थान स्थापित करने की दृढ़तापूर्वक संस्तुति की जाती है, जो शहरीकरण से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार करता हो तथा स्थानीय परिस्थितियों और विभिन्न हितधारकों के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त एवं उचित समाधान खोजने के उपाय सुझाता हो। **(अध्यायः 10 प्रस्तर–10.37)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
40.	चूंकि नैनीताल में राज्य प्रशासन अकादमी प्रशिक्षण के उद्देश्य से सुविधाओ की दृष्टि से अच्छी तरह से सुसज्जित है, इसलिए यह अपने वर्तमान बुनियादी ढांचे के साथ बिना अधिक खर्च के राज्य शहरी विकास संस्थान को इसमें स्थापित किए जाने की अनुशंसा की जाती है। **(अध्यायः 10 प्रस्तर–10.38)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
41.	जहॉ ऊपर प्रस्तावित एक संस्थान की स्थापना करना अत्यधिक वांछनीय है, शहरी विकास निदेशालय को भी मजबूत करने की भी आवश्यकता है ताकि वे शहरी स्थानीय निकायों के लिए डेटा बेस बनाए रख सकें और शहरी विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी कर सकें। कम्प्यूटरीकरण और आईसीटी का प्रभावी उपयोग तथा डेटा का निरंतर अद्यतन होना आवश्यक है और सुधारात्मक तंत्र के लिए सुझाव की महत्वपूर्ण भूमिका हैं। आवास, शहरी विकास, जल आपूर्ति जैसे विभिन्न विभागों द्वारा प्रदान की जा रही नगरीय नियोजन और नगरपालिका	संस्तुति स्वीकार की गई।

	सेवाओं का प्रावधान अभिसरण के सिद्धांत के विरुद्ध है। किसी स्तर पर एक एकीकृत अधिकार क्षेत्र और नियंत्रण होना चाहिए और प्रभावी क्षमता निर्माण उपायों के साथ बढ़ते हुए विकेंद्रीकरण के साथ उस दिशा में प्रयास प्रारंभ होने चाहिए। **(अध्यायः 10 प्रस्तर–10.39)**	
42.	कुमाऊं विश्वविद्यालय के सोबन सिंह जीना परिसर, अल्मोड़ा में भूगोल विभाग ने शहरी शासन के लिए अल्मोड़ा नगर के लिए केस स्टडी के माध्यम से जी.आई.एस. आधारित अभ्यास किया था, जिसमें बहुत सारे उपयोगी डेटा शामिल हैं। शहर, नगरपालिका और वार्ड स्तर पर शहरी शासन के लिए अल्मोड़ा शहर के जी.आई.एस. बुनियादी ढांचे का विकास शहर के डिजिटल टेरेन मॉडल और डिजिटल सतह मॉडल, भूमि उपयोग/भूमि कवर मानचित्रण, और भवन प्रदान करके उच्च संकल्प उपग्रह डेटा के माध्यम से किया गया था। नगर निगम और वार्ड स्तर के लिए भवन क्षेत्र, भवन की ऊंचाई और भूमि उपयोग पैटर्न सहित एक जी.आई.एस. प्लेटफार्म पर डेटा जिसमें सड़क और फुटपाथ आदि जैसी रैखिक विशेषताएं शामिल हैं। पहले चरण में सभी नगर निगमों और दूसरे चरण में नगर पालिका परिषदों और उसके बाद नगर पंचायतों के लिए इसी तरह के अध्ययन किए जाने की आवश्यकता है। **(अध्यायः 11 प्रस्तर–11.13)**	संस्तुति स्वीकार की गई।
43.	ग्रामीण स्तर पर कम्प्यूटरीकरण कृषि, सिंचाई, जलापूर्ति आदि सहित व्यापक अर्थो में ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करने वाले विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं अभिसरण की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। **(अध्यायः 11 प्रस्तर–11.15)**	संबंधित प्रशासनिक विभागों द्वारा आपस में समन्वय स्थापित कर कार्यवाही करेंगें।

देहरादूनः दिनांकः मार्च, 2022

वित्त मंत्री/ मुख्यमंत्री